पीठासीन अधिकारी— श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 247 / 2022

प्रार्थी	**बनाम** **विप्रार्थीगण**
आम्बाराम पुत्र सताराम 52 वर्ष जाति जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी जिला बाडमेर	1. हरचन्दराम पुत्र सताराम उम्र 60 वर्ष 2. सुराराम पुत्र सताराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी मोतीनगर तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री बाबूलाल विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 व 2 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप0।

<u>निर्णय</u>

दिनांक— 24.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पुस्तैनी एवं पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 59 रकबा 24.10 बीघा तथा उक्त मूल खसरे का विभाजन होने से जिसके नये खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3187 हैक्टयर व खसरा नम्बर 59 / 1 रकबा 2.6454 हैक्टयर कुल रकबा 3.9641 हैक्टयर ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कुल रकबे में से प्रार्थी का 3 / 6 हिस्सा रकबा 1.9829 हैक्टयर है, कि उक्त हिस्से की भूमि मूल खसरा नम्बर 59 रकबा 24.10 बीघा में प्रार्थी का एक हिस्सा अपना पुश्तैनी व दो हिस्से अपने भाईयों से जरिये हकतर्क से खरीदा गया इस प्रकार अपना कुल 3 / 6 हिस्सा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषित करवाकर बंटवाड़ा करवाने के लिये कई बार विप्रार्थीगण सं. 1 से 2 को कहा लेकिन विप्रार्थीगण नहीं माने। काफी समय पूर्व अपने भाईयों की सहमति से बाहमी बंटवाड़े के अनुसार अपना रहवास व कब्जा काश्त शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा है। लेकिन विप्रार्थी भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना ही विप्रार्थी पक्ष किसी अजनबी क्रेताओं को भूमि का बेचान करने पर उतारू है और प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि पर काबिज होने के लिए उतारू है। प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश की जा रही है। यदि दौराने विचारण वाद के प्रार्थी की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 व 2 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के पुस्तैनी एवं पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत मूल खसरा नम्बर 59 रकबा 24.10 बीघा तथा उक्त मूल खसरे का विभाजन होने से जिसके नये खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3187 हैक्टयर व खसरा नम्बर 59/1 रकबा 2.6454 हैक्टयर कुल रकबा 3.9641 हैक्टयर ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कुल रकबे में से प्रार्थी का 3/6 हिस्सा रकबा 1.9829 हैक्टयर है, कि उक्त हिस्से की भूमि मूल खसरा नम्बर 59 रकबा 24.10 बीघा में प्रार्थी का एक हिस्सा अपना पुश्तैनी व दो हिस्से अपने भाईयों से जरिये हकतर्क से खरीदा गया इस प्रकार अपना कुल 3/6 हिस्सा अपने कब्जे काश्त अनुसार घोषित करवाकर बंटवाड़ा विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्यता सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होने से प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम मोतीनगर तहसील सिणधरी की मूल खसरा नम्बर 59 रकबा 24.10 बीघा तथा उक्त मूल खसरे का विभाजन होने से जिसके कायम नये खसरा नम्बर 59 रकबा 1.3187 हैक्टयर व खसरा नम्बर 59/1 रकबा 2.6454 हैक्टयर कुल रकबा 3.9641 हैक्टयर भूमि के संबध राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:40:25 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी